भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 400

(जिसका उत्तर मंगलवार, 3 फरवरी, 2026/14 माघ, 1947(शक) को दिया जाना है)

आयकर और विधिक प्रावधानों के संदर्भ में 'हिंदू अविभाजित परिवार' की स्थिति

400 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयकर और विधिक प्रावधानों के संदर्भ में 'हिंदू अविभाजित परिवार' की स्थिति की क्या है;
(ख) क्या हिंदू अविभाजित परिवारों को जमा या अन्य रूपों में धन संग्रहण करने की अनुमति है;
(ग) क्या हिंदू अविभाजित परिवार को चिट फंड कंपनी या गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में गठित किया जा सकता है और इसके द्वारा लोगों से धन संग्रहण किया जा सकता है;
(घ) यदि हां, तो आम लोगों के ऐसे धन की रक्षा किसके द्वारा की जाएगी;
(ङ) उपरोक्त मामलों में आरबीआई की क्या भूमिका है और क्या आरबीआई की अनुमति से चिट फंड कंपनियों या एनबीएफसी द्वारा लोगों से धन संग्रहण करने की कोई घटनाएं सामने आईं हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों पर आरबीआई द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को कराधान के सीमित प्रयोजन के लिए एक अलग कर योग्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस अधिनियम की धारा 2(31) में निर्धारण प्रयोजनों के लिए "हिंदू अविभाजित परिवार" को "व्यक्ति" की परिभाषा में शामिल किया गया है। हालांकि यह अधिनियम किसी हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को विनियमित वित्तीय या वाणिज्यिक क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए किसी निकाय कॉरपोरेट या कानूनी इकाई का दर्जा प्रदान नहीं करता है।

(ख) एवं (ग): आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIसी और धारा 45-I के अनुसार और मास्टर डायरेक्शन - विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 दिनांक 25 अगस्त, 2016 (समय-समय पर संशोधित) में निहित विनियमों के अधीन एचयूएफ (गैर-निगमित निकाय होने के नाते) को एनबीएफसी या चिट फंड कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और यह जनता से धन एकत्र नहीं कर सकती है।

(**घ):** (ख) एवं (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एवं (च): चिट फंड कंपनियों के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन (आरबीआई अधिनियम की धारा 45-T के तहत आपराधिक मामला दर्ज करना) पर कार्रवाई करने की शक्ति समवर्ती रूप से भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों के पास है। आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (एनबीएफसी सहित) के मामले में अनधिकृत सार्वजनिक जमा स्वीकार करने सहित यदि वे मौजूदा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो बैंक मामले-दर-मामले के आधार पर उचित नियामक/पर्यवेक्षी कार्रवाई करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाना, मौद्रिक जुर्माना लगाना और पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करना शामिल हैं।

*****